50

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर केम्प भोपाल म0प्र0

प्रकरण कमांक– /2015–16 निगरानी नि0-849-I-16

रामबाबू लोधी पुत्र श्री प्रेमसिंह आयु 35 साल धंधा कृषि निवासी ग्राम मढ़िया धामनोद तहसील ग्यारसपुर जिला विदिशा मध्यप्रदेश ....निगरानीकर्ता

— ब ना म —

अकबर खॉ पुत्र श्री उमराव खॉ आयु लगभग 50 साल जाति मुसलमान निवासी ग्राम मोहम्मदगढ़ तहसील ग्यारसपुर जिला विदिशा मध्यप्रदेश ....रिस्पा0

अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
भोपाल संभाग, भोपाल

निगरानी अर्न्तगत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959.

माननीय महोदय,

सेवा में यह निगरानी अधिनस्थ न्यायालय माननीय अपर आयुक्त महोदय भोपाल के राजस्व प्रकरण कमांक 695/2012–13 व मामले रामबाबू –बनाम– अकबरखॉ में पारित आदेश दिनांक 23.12.2015 के विरूद्व प्रस्तुत की जा रही है–

।। निगरानी के तथ्य।।

(1) यह कि, निगरानीकर्ता ग्राम मढ़िया धामनोद का निवासी होकर भूमिस्वामी कृषक है। निगरानीकर्ता ने ग्राम मढ़िया धामनोद तहसील ग्यारसपुर की कृषि भूमि सर्वे कमांक 27/1 रकबा 1.025 हेक्टेयर को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 28.05.2011 को 3,27,500/—रूपया में रिस्पा0 से कय कर मौके पर कब्जा प्राप्त कर लिया था तब से आज तक उक्त भूमि पर काबिज होकर व हैसियत भूमिस्वामी कृषि कर रहा है।

(2) यह कि, उक्त भूमि का मूल्य 3,27,500/—रूपया निगरानीकर्ता ने रिस्पा0 को बयनामा के समय यूको बैंक शाखा ग्यारसपुर के चैक कमांक–986721 दिनांक 28.05.2011 को गवाहो के समक्ष भुगतान कर गवाहों की उपस्थित में सब–रजिस्ट्रार कार्यालय ग्यारसपुर में विकयपत्र का निष्पादन रिस्पा0 से करवा कर इस विकयपत्र के आधार पर रिस्पा0 की जानकारी में नामान्तरण पंजी कमांक 9 आदेश दिनांक 17.08.2011 को नामान्तरण करवाकर उक्त भूमि को शासकीय अभिलेख में अपने नाम से भूमिस्वामी की हैसियत से अंकित करवाकर अपने नाम की भू–अधिकार एवं ऋणपुस्तिका

(2)

रामबाबू

R 849-I/16

जिला रजिस्टर

13-6-18 मो० पत्रावली पेश	आवेदक की ओर से श्री के० एस० राजपूत अधिवक्ता। आवेदक - आवेदन पत्र प्रकरण को नोटप्रेस के समाप्त किये जाने का निवेदन किया गया। आवेदक आवेदन के निवेदन पर प्रकरण नोटप्रेस के रूप में समाप्त किया जाता है। प्रकरण अभिलेखागार दाखिल हो। [illegible]	8-05-18 Not Pressed 13-6-18 7/09.17